भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2370

18.12.2023 को उत्तर के लिए

सीएएमपीए निधि

2370. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :
श्री चन्द्र शेखर साहू :
श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वनों और वन्यजीवों के आवास में सुधार के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) निधि के उपयोग के लिए कोई संभावी योजना जारी की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;
(ग) उक्त संबंध में विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र की प्रतिक्रिया क्या है;
(घ) क्या सरकार ने एनपीवी के तहत प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन अधिनियम (सीएएमएफए) के उपयोग पर कुछ सीमाएं लगा दी है; जबकि अधिनियम और नियमों के तहत कोई विशिष्ट सीमा नहीं है;
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और
(च) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में नई परिप्रेक्ष्य योजना द्वारा वनों और वन्यजीवों के आवास को मजबूत करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (च) प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 **(**सीएएफ अधिनियम) में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के कारण वन और पारि-प्रणाली संबंधी लाभों में हुई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए विधिक कार्यढांचे का प्रावधान किया गया है। निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) सहित काम्पा निधियां, विभिन्न प्रयोक्ता अभिकरणों से वन भूमि के अपवर्तन के बदले प्रतिपूरक शुल्क के रूप में प्राप्त की जाती हैं और परियोजना विशिष्ट होती हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 (सीएएफ नियम) में उन तरीकों के बारे में बताया गया है जिनके अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरणों (काम्पा) द्वारा एनपीवी निधियों का उपयोग किया जाना है।

काम्पा निधियां, वन भूमि और पारि-प्रणाली लाभों में हुई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए विशेष और अतिरिक्त निधियों के रूप में हैं और इनका आशय सामान्य राज्य निधियों को प्रतिस्थापित करना नहीं है। एनपीवी निधियों का उद्देश्य अवक्रमित वनों का समग्र पारिस्थितिक पुनरूद्धार, अधिकाधिक वनों का सृजन/संवर्धन, वन आवरण और वन्यजीव पर्यावास की गुणवत्ता में सुधार, जैव-विविधता का संरक्षण और पारि-प्रणाली लाभों में वृद्धि करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के काम्पा, एनपीवी निधि के उपयोग संबंधी कार्यकलापों सहित सीएपीएफ अधिनियम और सीएएफ नियमों के उपबंधों के अनुसरण में वन और वन्यजीव पर्यावास में सुधार हेतु वनीकरण और विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए वार्षिक प्रचालन योजना तैयार करते हैं।

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध एनपीवी निधि कम है तथा अपेक्षित तत्परता और उचित योजना के बिना उपयोग किए जाने से इसका समाप्त होना प्रत्याशित है। चूंकि, अवक्रमित वनों के पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार के लिए लंबे समय तक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ व्यवस्थित और सतत प्रयास करना अपेक्षित हैं, इसलिए एनपीवी निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु भावी योजना बनाना आवश्यक है। अत: राष्ट्रीय (काम्पा) प्राधिकरण, अभिज्ञात वास्तविक रूप से प्राप्ति योग्य लक्ष्य के साथ किसी नियत समय सीमा के भीतर निधि के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए भावी योजना तैयार करने सहित समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों को दिशानिर्देश/निदेश जारी करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार संबंधी कार्यकलापों, नामत: सहायित प्राकृतिक/कृत्रिम पुनरुद्भव, मृदा एवं जल संरक्षण उपाय, वनसंवर्धन प्रचालन, जंगली प्रजातियों को हटाना आदि, को अभिज्ञात करने एवं तत्संबंधी योजना बनाने और सृजन एवं अनुरक्षण हेतु आगामी वर्षों के लिए निधियों का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक कार्यकलापों को इस निधि का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है।

इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के काम्पा प्राधिकरणों को देश में वन और वन्यजीव पर्यावासों के संरक्षण और उनमें सुधार करने संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी भावी योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरण, तदनुसार अपने पास उपलब्ध एनपीवी निधियों पर 15-20% की वार्षिक सीमा निर्धारित करते हुए वार्षिक प्रचालन योजना तैयार कर रहे हैं। इससे लगाए गए वृक्षों के रखरखाव, मृदा में नमी के संरक्षण तथा अन्य संबंधित वन और वन्यजीव पर्यावास सुधार संबंधी कार्यकलापों के लिए एनपीवी निधियों का नियमित प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा।

****